न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/86/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/304

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव, नि0 ग्राम व पोस्ट–बर्डोद, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 12.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 21.05.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आर्म्स लाईसेंस के संबंध में प्रत्यर्थी के कार्यालय स्तर पर आवेदित प्रा0पत्र दिनांकः 16.02.2022 पर की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1814 दिनांकः 21.07.22 के माध्यम से पूर्व प्रेषित सूचना–पत्र सं. 1687 दिनांकः 01.07.22 संलग्न करते हुए इस न्यायालय को जवाब नोटिस पेश किया गया व साथ ही जवाब की प्रति अपीलार्थी को पूर्व सूचना के साथ पृष्ठांकित की है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 21.05.22 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में उनके क्षेत्राधीन सूचना आवेदन दिनांक तक संधारित स्थिति से अवगत कराते हुए विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 01.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)